भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2681

दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पत्तनों पर सीआईएसएफ सुरक्षा

†2681. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को देश के 250 से अधिक पत्तनों के लिए सुरक्षा विनियामक के रुप में निर्दिष्ट किया है;

(ख) क्या वर्तमान में पत्तनों के लिए कोई समान सुरक्षा ढांचा नहीं है और कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था निजी सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने पत्तनों की सुरक्षा की देख-रेख के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) क्या सीआईएसएफ ने सरकार से 80 पत्तनों पर तैनाती के लिए 10,000 अतिरिक्त कार्मिकों की संस्वीकृति देने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार पोत एवं पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा के विनियमन के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन नौवहन महानिदेशालय को नामित प्राधिकरण बनाया गया है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) संहिता 2021 के तहत परिकल्पित बंदरगाहों (पत्तनों) के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन (आरएसओ) के रूप में नामित किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2681, दिनांक 16.12.2026

(ख) और (ग): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन नौवहन महानिदेशालय पत्तनों में अंतर्राष्ट्रीय जहाज एवं बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) संहिता के अनुपालन की निगरानी करता है और खतरे की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा आकलन करता है। सुरक्षा आकलन और पत्तन सुविधा सुरक्षा योजनाओं के आधार पर पत्तनों में सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, सीआईएसएफ और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन नौवहन महानिदेशालय की संयुक्त समिति द्वारा किए गए अवलोकन के अनुसार, सभी समुद्री पत्तनों में एकसमान सुरक्षा मानकों का व्यापक रूप से पालन किया जाता है।

(घ) और (ङ): पत्तनों पर सीआईएसएफ की अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता का निर्णय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन नौवहन महानिदेशालय, सीआईएसएफ तथा संबंधित पत्तन प्रबंधन द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।

******